न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 232/2024

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र बाबुराम जाति सैनी निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू राजस्थान।

– सायल

बनाम्

1. अर्जुनलाल पुत्र महावीर जाति सैनी निवासी फेफाना हाल 24 एनटीआर तहसील नोहर
2. ओमप्रकाश पुत्र महावीर जाति सैनी निवासी फेफाना हाल 24 एनटीआर तहसील नोहर
3. तुलछी पत्नी लालचन्द महावीर जाति सैनी निवासी 22 एनटीआर हाल 24 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. प्यारेलाल पुत्र महावीर जाति सैनी निवासी फेफाना हाल 24 एनटीआर तहसील नोहर।
5. माफिया पत्नी उम्मेद खां जाति लखारा मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. मोहित पुत्र अमरसिंह जाति सैनी निवासी फेफाना हाल 24 एनटीआर तहसील नोहर।
7. योगेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति सैनी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. रूकमणी पुत्री सावत्री जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजबाला पत्नी अमरसिंह जाति सैनी निवासी फेफाना हाल 24 एनटीआर तहसील नोहर।
10. रामूराम पुत्र जैसाराम जाति सैनी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. सत्यप्रकाश सैनी पुत्र अमरसिंह महावीर जाति सैनी निवासी फेफाना हाल 24 एनटीआर तहसील नोहर।
12. सन्तोष पुत्री सावत्री जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. सावत्री देवी पत्नी जगदीश जाति सैनी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. सोहनलाल पुत्र सावत्री जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
16. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 30/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 53/52 के प० नं0 331/420 (34) के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक की ०. 2530 है०, प० नं0 331/421 (35) के किला नं. 1 ता 13, 18 ता 22 प्रत्येक की 0.2530 है० प० नं० 333/422 (42) के किला नं. 15/4 की 0.0630 है0, 16, 15 प्रत्येक की 0. 2530 है० प० नं0 333/423 (47) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 3/2 की 0.2280 है0, 4/1 की 0.0250 है0 गै० मु. खाला, 4/2 की 0.2280 है0, 5/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 5/2 की 0.2280 है0, 6–7 की 0.5060 है० प० नं० 334/423 (41) किला नं. 20, 21 की 0.5060 है० प० नं0 334/423 (48) किला नं. 1/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 1/2 की 0.2280 है0, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 2/2 की 0.2280 है०, 9, 10, 11, प्रत्येक की 0.2530

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है० प० नं० 335/423 (49) के किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल खसरे 47 का कुल क्षेत्रफल 10. 4360 है० मुश्तरका भूमि में सायल का 1/4 हिस्सा, गैरसायल संख्या 1, 2. 4 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा, गैरसायल संख्या 3, 7 प्रत्येक का 253/5218 हिस्सा, गैरसायल संख्या 5. 13 प्रत्येक का 3637/26090 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 59/2016 हिस्सा, गैरसायल संख्या 8, 12 प्रत्येक का 1419/104360 हिस्सा, गैरसायल संख्या 9 का 1/252 हिस्सा. गैरसायल संख्या 10 का 3241/52180 हिस्सा, गैरसायल संख्या 14 का 911/26090 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायल व गैरासायलान का खाता मुश्तरका होने के कारण से सींव डोल का आपस में विवाद बना रहता है तथा इसलिए सायल विवाद को टालने की गर्ज से उपरोक्त मुश्तरका खाता की भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व किस्म के अनुसार खाता व लगान अलग–अलग करवा पाने का अधिकारी है।

उपरोक्त भूमि मुश्तरका खाता की है तथा मुश्तरका खाता की भूमि में प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हक हिस्सा होता है इसलिए गैरसायलान बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होकर अपना कब्जा साबित करके बेचान करना चाहता है इसलिए सायल विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का मुताबिक किस्म अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी के अनुसार खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवाना चाहता है। गैरसायलान जो कि काफी तेज तर्रार व झगड़ालु किस्म के है तथा उपरोक्त भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि में कब्जा साबित विशेष भू भाग को बेचान करने की फिराक में है यदि गैरसायलान अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी बाद में किसी भी सूरत में पूर्ति नहीं हो सकेगी इसलिए सायल गैरसायलान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाना चाहता है कि वे बिना खाता विभाजन करवाये मुश्तरका खाता की भूमि में वादी के कब्जा काश्त में दखल अदाजी ना करे, अच्छी किस्म की भूमि में काबिज होकर विशेष भू भाग को बेचान नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 53/52 की कुल 10.4360 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान न करे। शेष अप्रार्थीगणी को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता [illegible] की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा अच्छी किस्म की भूमि का बिना वि[illegible] करवाये बेचान करना चाहता है इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बै[illegible] करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:03 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की अप्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि के उपयोग व उपभोग हेतु स्वतंत्र है। अप्रार्थी द्वारा जमाबंदी में दर्ज अपने हक हिस्सा को रहन, बैय

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया जा रहा है न की प्रार्थी के हिस्सा को उक्त स्थगन आदेश के कारण अप्रार्थी केसीसी आदि नही ले पा रहे है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 53/52 की कुल 10.4360 हैक्ट भूमि के सायल व गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.09.2024 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खरिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/03/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर